30/1/20 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष हाजिर। पक्ष वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी। पत्र० फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री प्रतिभा (आर.ए.एस.)

ा संख्या 58/2020
ामदेवी पुत्री नोलाराम जाति बलाई निवासिनी ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर
ाल निवास रामपुरा लोसल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

वादीया

बनाम

. हरदेवा पुत्र सुरजा
. छोटी पत्नी मोहन
. राजू पुत्र मोहन
. किशन पुत्र मोहन
. भंवरी उर्फ रूकमा पुत्री मोहन
. कानी पुत्री मोहन
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम लोसल बड़ी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

राज0।
. तहसीलदार धोद जरिये भूमिधारी।

प्रतिवादीगण

दावा अं0धारा 88, राज0 काश्त0 अधि0 भू0राजस्व अधिनियम

_निर्णय_

दिनांक – 30/09/2020

वादीया की ओर से यह दावा पेश किया गया । वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार ै है कि ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर की तन में भूमियां खसरा नम्बर 410 रकबा 0.68 है0 व खसरा नम्बर 411 रकबा 1.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.73 है0 अवस्थित है। ग्राम गणेशपुरा में ही खसरा नम्बर 414 रकबा 1.63 है0 एवं 412/1 रकबा 0.55 है0 अवस्थित है। जिसमे 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पूर्वज मोहन पुत्र केशरा जिसका देहान्त हो चुका है के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ता 6 के पूर्वज मोहन द्वारा वाद पत्र वर्णित भूमियों का अर्सा 30 वर्ष पूर्व विनिमय कर लिया गया जिसके तहत वादीया को सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 414 प्राप्त हो गयी व कब्जे का आदान प्रदान हो गया तथा बदले में खसरा नम्बर 410 व खसरा नम्बर 411 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 के पूर्वज मोहन को प्राप्त हो गया। विनिमय के दिन से ही वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 काबिज काश्त करते आ रहे है। परन्तु

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

निमय पत्र नहीं बनवाने के कारण राजस्व रिकार्ड दुरस्त नहीं हो सका है। वादीया के द्वारा र बार रिकार्ड दुरस्त का कहने पर प्रतिवादीगण सिर्फ आश्वासन देते रहे। वादिया द्वारा ादा जोर देकर कहने पर इन्कार हो गये।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस लब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये वकील उपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 1 । 6 की ओर से इकबाली जवाबदावा दावा पेश किया गया जिसमें कथन किया वादी का वाद वीकार किया जाकर निर्णित व डिकी किये जाने में जवाबदाता की पूर्ण सहमती एवं स्वीकृति । दावा डिकी किये जाने पर जवाबदाता को किसी प्रकार की उज्र या आपत्ति नहीं है।

बहस सूनी गई एवं पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन केया गया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076–79 वाके ग्राम गणेशपुरा में खसरा नम्बर 412/1 रकबा 0.55 है0 एवं खसरा नम्बर 414 रकबा 1.63 है0 की खातेदारी मोहन पुत्र केशरा हेस्सा 1/2 एवं हरदेवा पुत्र सुरजा हि0 1/2 जाति बलाई सा. लोसल के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 410 रकबा 0.68 है0 एवं 411 रकबा 1.05 है0 की खातेदारी रामदेवी पुत्री नोलाराम जाति वलाई सा. देह के नाम दर्ज है। वादिया का कथन है कि पूर्वजों के समय से विनिमिय किये जाने के कारण उसका कब्जा काश्त खसरा नम्बर 414 पर रहा है तथा आज भी उसी पर काविज काश्त है। खसरा नम्बर 410 व 411 पर कब्जा काश्त प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 पर तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का 1/2 हिस्से पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं आज भी इस पर इनका ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण ने वादिया के वाद के कथनों को स्वीकार किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमियां समान प्रकृति की है तथा पक्षकारान भी समान वर्ग के हैं। भूमियों के रकबे में कुछ असमानता है।

आज्ञा

अतः वाद वादीया बरूऐ राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीया को खसरा नम्बर 414 रकबा 1.63 है0 वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम हजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 410 रकबा 0.68 है0 एवं खसरा नम्बर 411 रकबा 1.0500 है0 कुल रकबा 1.7300 है0 वाके ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर का प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादिया का नाम हजफ किया जाता है। तहसीलदार धोद को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री जारी हो।

(प्रतिभा)
सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 30/09/2020 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर